IBC ‘पवित्र गंगा’ नहीं: NCLAT का फ़ैसला

पॉलिटी, कानून और अर्थव्यवस्था — दिवाला बनाम आपराधिक प्रवर्तन | समाचार संदर्भ: 1 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

NCLAT की प्रधान पीठ ने 30 जून 2026 को फैसला दिया कि दिवाला संहिता (IBC) की धारा 14 का मोरेटोरियम प्रवर्तन निदेशालय (ED) को PMLA के तहत अपराध-अर्जित संपत्ति कुर्क करने से नहीं रोकता — ‘संसद ने IBC को पवित्र गंगा बनाकर कॉरपोरेट देनदार के अपराध-पाप धोने के लिए नहीं बनाया’।

खबरों में क्यों

कंपनी अपील (AT) (दिवाला) संख्या 1226-1227/2022 में न्यायमूर्ति एन. शेषशायी (न्यायिक सदस्य) और अरुण बरोका व इन्देवर पांडे (तकनीकी सदस्य) की पीठ ने सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स के परिसमापक (Value Wise Consultancy) की अपीलें खारिज कीं। तर्क: PMLA अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं (FATF, UN संधियों) से जन्मा राष्ट्रीय-हित का कानून है; IBC केवल एक कंपनी की दिवाला-स्थिति सुलझाता है — लेनदारों के हित (हेयरकट से समझौतायोग्य) राष्ट्रीय हित के आगे नहीं टिकते। धारा 14/33(5) का दायरा वैधानिक संपत्तियों तक सीमित; मोरेटोरियम केवल उन कार्यवाहियों पर लागू जो देनदार की ऋण-देयता बढ़ाएँ। बाद में (1 सितंबर 2026) सुप्रीमी कोर्ट ने इस फैसले के विरुद्ध परिसमापक की याचिका पर नोटिस जारी किया — मामला अपील में है।

मोरेटोरियम: किस पर लागू, किस पर नहीं?

IBC धारा 14: CIRP स्वीकार होते ही कॉरपोरेट देनदार (CD) के विरुद्ध वाद/कार्यवाही पर रोक — उद्देश्य: संपत्ति की स्टेटस-क्वो सुरक्षा ताकि समाधान सुविधाजनक हो। NCLAT की व्याख्या: यह रोक केवल उन दीवानी/आपराधिक कार्यवाहियों पर जो CD की ऋण-देयता बढ़ाने की संभावना रखें। सार्वजनिक-कानून स्वभाव के दंडात्मक अपराध (जैसे PMLA) — भले ही CD की शुद्ध संपत्ति घटाएँ — मोरेटोरियम से प्रभावित नहीं होंगे। कारण: IBC का उद्देश्य वैधानिक संपत्ति से लेनदारों का भुगतान है, अपराध-अर्जित संपत्ति का संरक्षण नहीं।

मुख्य तथ्य

मामले का सिलसिला: सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स: ₹1,600 करोड़+ बैंक-धोखाधड़ी/निधि-डायवर्जन के आरोप; CBI के FIR पर ED ने जून 2017 में कुर्की की; सितंबर 2017 में CIRP स्वीकार — मोरेटोरियम के दौरान ED ने ICICI खाते से ₹2.29 करोड़ निकाले; परिसमापन में 6,170 वाहनों की नई कुर्की (1,344 की पुष्टि)।

तीन प्रश्न, तीन उत्तर: (क) मोरेटोरियम में ED कुर्की वैध — हाँ; (ख) PMLA अपीलीय प्राधिकरण ने कुर्की रद्द की और बॉम्बे HC में स्टे नहीं, तो भी धनराशि ED के पास — चुनौती PMLA-तंत्र/HC में ही; (ग) ग्राहकों को भुगतान-रोक के धारा 50 नोटिस — इनकी भी समीक्षा PMLA तंत्र ही करेगा।

क्षेत्राधिकार की सीमा: Embassy Property (SC, 2020) के अनुसार IBC-अधिकरणी का क्षेत्र IBC के संचालन तक सीमित; IBC और PMLA अलग क्षेत्रों के कानून — दिवाला-अधिकरणी ED के विरुद्ध याचिका सुनने का मंच नहीं।

IBBI का मार्गदर्शन: परिपत्र IBBI/CIRP/87/2025 (4 नवंबर 2025): ED-कुर्क संपत्तियों की वापसी हेतु दिवाला-पेशेवर PMLA विशेष न्यायालय में धारा 8(7)/8(8) के तहत आवेदन करें — संस्थागत समाधान पहले से मौजूद।

पूर्व-परंपरा की पुष्टि: ED बनाम Axis Bank (दिल्ली HC 2019), Varrsana Ispat (SC से पुष्टि), Kiran Shah, Ashok Kumar Sarawagi — ED-कुर्की पर IBC-प्राथमिकता नकारने की सुसंगत परंपरा; धारा 32A केवल सफल

समाधान पर लागू — यहाँ परिसमापन था, अतः अप्रासंगिक।

P. Mohan Raj पर संकट: परिसमापक का प्रमुख आधार P. Mohan Raj (धारा 138 NI-वाद मोरेटोरियम में) अब Dineshchand Surana बनाम UCO Bank (2026) में संदिग्ध — प्रश्न बड़ी पीठ को भेजा गया; मोरेटोरियम की सीमा पर बड़ा फैसला आना बाकी।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है

अपराध-सम्पत्ति पर दिवाला की ढाल टूटी: यदि मोरेटोरियम ED-कुर्की रोकता, तो धोखाधड़ी-कंपनियाँ CIRP में घुसकर अपराध-अर्जित संपत्ति सुरक्षित कर सकतीं — फैसले ने इस 'दिवाला-कवच' का रास्ता बंद किया।

दो कानूनों की सीमा-रेखा: IBC (आर्थिक-पुनरुद्धार) और PMLA (आपराधिक-प्रवर्तन) के अलग क्षेत्र स्पष्ट — अधिकरणी-क्षेत्राधिकार की बाउंड्री स्थिर; दिवाला-पेशेवरों के लिए PMLA विशेष न्यायालय ही मंच।

राष्ट्रीय हित बनाम लेनदार हित: पीठ का सिद्धांत: लेनदार हेयरकट स्वीकार करते हैं, राष्ट्रीय हित अपराध-अर्जित संपत्ति पर समझौता नहीं करता — वैश्विक FATF ढाँचे से जोड़ी व्याख्या।

भविष्य का संकेत: P. Mohan Raj की समीक्षा बड़ी पीठ में और इसी फैसले पर SC नोटिस (1 सितंबर 2026) — IBC-आपराधिक कानून सीमा पर सर्वोच्च स्तर का निर्णय आगे; दिशा अस्थायी नहीं, परंतु अंतिम नहीं।

विश्लेषण और आगे की राह

तीन जटिलताएँ बनी रहती हैं। पहली, बोनाफाइड लेनदारों का हित: ED-कुर्की से CIRP का कोष सिकुड़ता है — निर्दोष बैंकों/संगचालन लेनदारों की वसूली घटती है; IBBI परिपत्र का PMLA-विशेष न्यायालय मार्ग (धारा 8(7)/8(8)) इसी तनाव का संस्थागत उत्तर है — समाधानकर्ता का अधिकार-श्रेणी प्रश्न सुलझाना होगा। दूसरी, समय-संघर्ष: कुर्की-विवाद PMLA ट्रिब्यूनल→हाईकोर्ट→SC चलता है, CIRP की 330-दिवसीय घड़ी अलग — समन्वय की कोई प्रक्रिया नहीं; दोनों ट्रैक की असिंक्रोनिकता लागत बढ़ाती है। तीसरी, P. Mohan Raj की अनिश्चितता: यदि बड़ी पीठ मोरेटोरियम का विस्तार करे, तो इस फैसले की धारा-14 सीमा-व्याख्या पुनः परीक्षित होगी — निवेशक-निश्चितता के लिए शीघ्र निपटारा जरूरी। निगरानी संकेतक: SC में याचिका की सुनवाई, बड़ी पीठ का गठन, IBBI के अगले परिपत्र।

अवधारणा में अंतर

मोरेटोरियम (धारा 14) बनाम कुर्की (PMLA धारा 5): पहला CIRP के दौरान देनदार-संपत्ति की स्टेटस-क्वो रक्षा (दीवानी-ऋण प्रकृति); दूसरा अपराध-अर्जित संपत्ति का प्रवर्तन-जब्ती (आपराधिक-सार्वजनिक प्रकृति) — क्षेत्र और उद्देश्य अलग, टकराव में PMLA-तंत्र ही मंच। धारा 32A बनाम धारा 14: 32A सफल समाधान-योजना के बाद CD को अतीत के अपराध-दायित्व से मुक्ति देता है (शर्तों सहित); यहाँ परिसमापन चल रहा था — 32A लागू ही नहीं हुआ। NCLAT फैसला बनाम SC की स्थिति: 30 जून 2026 का फैसला प्रवृत्त है, पर 1 सितंबर 2026 को SC ने याचिका पर नोटिस जारी किया — अंतिम शब्द शेष।

मेंस दृष्टि

GS-II: न्यायपालिका की व्याख्या-भूमिका, अधिकरणी-शासन। GS-III: दिवाला-संहिता, आर्थिक अपराध, पूंजी-बाजार अखंडता, FATF। GS-IV: सार्वजनिक हित बनाम निजी हित की नैतिकता। निबंध: कानून की ढाल कभी अपराध का कवच न बने।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

NCLAT ने कहा कि IBC का मोरेटोरियम PMLA-कुर्की नहीं रोकता — 'IBC अपराध-पाप धोने की पवित्र गंगा नहीं'। दिवाला-समाधान और आपराधिक प्रवर्तन के संतुलन के आलोक में इस व्याख्या का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 30 जून 2026 NCLAT: s.14 मोरेटोरियम ED-कुर्की नहीं रोकता।

मुख्य भाग में: तर्क: PMLA राष्ट्रीय हित (FATF/UN); IBC का उद्देश्य वैध संपत्ति से भुगतान; s.14 केवल ऋण-वर्धक कार्यवाही; क्षेत्राधिकार-सीमा (Embassy Property); IBBI परिपत्र 87/2025 का PMLA-मार्ग। संतुलन-प्रश्न: बोनाफाइड लेनदारों की वसूली, समय-संघर्ष, P. Mohan Raj अनिश्चितता (SC नोटिस 1 सितंबर 2026)।

निष्कर्ष में: दिवाला-समाधान को अपराध-अर्जित संपत्ति के लिए स्वतः कवच न मानें, लेकिन निर्दोष लेनदारों की वसूली और समयबद्ध प्रक्रिया का हित भी रखें। NCLAT की व्याख्या और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चुनौती अलग लिखें; अंतिम न्यायिक स्थिति का दावा न करें।

स्रोत

- NCLAT आदेश पूर्ण पाठ: CA(AT)(Ins) 1226-1227/2022, 30 जून 2026 (IBBI आधिकारिक पोर्टल)
- The Hindu: NCLAT upholds ED's PMLA powers over insolvency moratorium (1 जुलाई 2026)
- Indian Express Explained: IBC बनाम ED-कार्रवाई (2 जुलाई 2026)
- LiveLaw: SC ने NCLAT फैसले के विरुद्ध याचिका पर नोटिस जारी किया (1 सितंबर 2026)

जाँच-टिप्पणी: NCLAT आदेश का पूर्ण 16-पृष्ठीय प्राथमिक पाठ (IBBI पोर्टल पर आधिकारिक प्रतिलिपि) पढ़कर सत्यापित — पीठ, तिथि (30 जून 2026), 'holy Ganges' उद्धरण, तीन प्रश्नों के निष्कर्ष, Embassy Property/Axis Bank/Varrsana संदर्भ, IBBI परिपत्र 87/2025, P. Mohan Raj पर Dineshchand Surana संदेह, और अपील-खारिज निष्कर्ष सभी आदेश-पाठ से। ₹1,600 करोड़ आरोप-राशि और वाहन-कुर्की विवरण LiveLaw रिपोर्टिंग (1 जुलाई 2026) से; SC नोटिस (1 सितंबर 2026) LiveLaw से — मामला अपील में, अंतिम स्थिति हेतु SC अभिलेख ही प्रमाण मानें।

यह भी पढ़ें: व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला प्रक्रिया: निष्पक्ष मतदान और सूचित निर्णय | दिवाला समाधान में हेयरकट: ऋण की राशि से आगे मूल्य की जाँच।

याद रखें: दिवाला की ढाल अपराध की संपत्ति नहीं बचाएगी — मोरेटोरियम ऋण-वादों तक सीमित, PMLA अपने ट्रैक पर; अंतिम फैसला सुप्रीमी कोर्ट के पास।